



# नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492002  
फोन.नं. 0771-2512500, फैक्स नं.0771-2512400 ई. मेल- [mplan-nranvp@cg.gov.in](mailto:mplan-nranvp@cg.gov.in)

क्र. 2060 5(1)/नि.प्र./2023,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 14/03/2023

## नगर विकास योजना तैयार करने के आशय की घोषणा हेतु सूचना (छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2020 के प्ररूप पच्चीस अनुसार)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ग्राम बरौदा एवं रमचंडी तहसील-मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ.ग.) के अंतर्गत कुल 10.055 हे० भूमि पर नगर विकास योजना तैयार करने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित की गई भूमि का खसरा विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	भू-स्वामी का नाम	खसरा क्र.	योजना प्रभावित रकबा (हे०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आरंग	रमचंडी	बसंत अग्रवाल	200/8,9,10,11 का भाग	0.3353
2	आरंग	रमचंडी	अनिता सिंघवानी	200/7 का भाग	0.5115
3	आरंग	रमचंडी	राजेश अग्रवाल	200/4 का भाग	0.1910
4	आरंग	रमचंडी	अन्नपूर्ण पोत्दार	200/6 का भाग	0.1211
5	आरंग	रमचंडी	विवेक वल्द अनिरुद्ध, विकास वल्द अनिरुद्ध	208/1	0.2740
6	आरंग	रमचंडी	बंशीलाल उपाध्याय	208/4 का भाग	0.1866
7	आरंग	रमचंडी	डी.बी.एच. टाउनशीप, एल.एल.पी.	208/7	0.3850
8	आरंग	रमचंडी	परमजीत सिंग ओबेरॉय	208/5	1.2670
9	आरंग	रमचंडी	गंगाविसन पिता रामचंद्र	208/6 का भाग	0.8373
10	आरंग	रमचंडी	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	200/3 का भाग	1.9114
11	आरंग	रमचंडी	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	200/12 का भाग	0.0390
12	आरंग	रमचंडी	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	208/2 का भाग	3.2162
13	आरंग	रमचंडी	शासकीय	167 का भाग	0.0085
14	आरंग	बरौदा	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	1 का भाग	0.7714
नगर विकास योजना में शामिल कुल भूमि का योग					10.0553

नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-III में प्रस्तावित एरोसिटी के नगर विकास योजना के आशय की घोषणा पर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त है। प्रारूप नगर विकास योजना में अंतिम भूखंड का आवंटन उपरोक्त दर्शाये गये भू-स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा। तालिका में दर्शाये गए विवरण में किसी प्रकार की विसंगति अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व हुए किसी उपविभाजन/बटांकन को सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर प्राधिकरण की जानकारी में लाया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखंड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखंड में किये गए किसी भी उपविभाजन/बटांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण  
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)